AAG12
1.12.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ______________/OF 2014

Kedar Prasad Singh ....PETITIONER

VERSUS

The Commissioner, Koshi Division, Saharsa & others

-----------------------RESPONDENTS

Sub:- Land Acquisition

INDEX

	Page Nos.
1. Petition with affidavit	1 to 10
2. Annexure-1 Copy of the order dated 27.12.13.	11-14
3. Annexure-2 Copy of order dated 7. 6.12.	15-22
4. Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ______________/OF 2014

Kedar Prasad Singh ....PETITIONER

VERSUS

The Commissioner, Koshi Division, Saharsa & others

-----------------------RESPONDENTS

SYNOPSIS

RELIEFS PRAYED FOR:-

(I) The impugned order dated 27.12.13 as contained in Annexure-1 be quashed to the extent of the observation of the court that respondent no.5 is entitled to look after the land in question which is the land of the trust.

(II) The impugned order the extent of the observation of the appellate court that respondent no.3 is entitled to look after the land in question which is the land of the trust, may remain stayed.

BRIEFS FACTS OF THE CASE:

Respondent NO.3 Rajiv Kumar Singh filed, a petition against the respondent no.5. In the said petition it has been alleged that land appertaining to Khata No. 796, Khesra NO. 1498 having an area of 3.42 Acres is the land of the said respondent no. 4 as per family adjustment, on which respondent no.5 is cultivating, depriving the title of the respondent no.4 over the said land. In the

said dispute in between the respondentno.3 and 4 it was emerged that the land in question is the part of the land of the said trust. It has further been revealed that the petitioner is the Sewait of the said trust, as has duly been adjudicated by the Civil Court of competent jurisdiction in T.S. 42/1988. Respondent No.4 claimed that a part of the land in question has been granted to the said respondent no.4 for 5 years on certain rent. Thus the claim of the respondent no.3 was dismissed, against which the appeal was filed by the respondent no.3. The appellate court. appreciating all the facts and circumstances including the fact that the petitioner is the Sewait of the said trust created in the year 1934, having more than 20 acres of land. The respondent Commissioner further found that the land of a trust cannot be claimed by any other persons even on the basis of family partition as the land does not belong to any family. The respondent commissioner while rejecting the said case observed that respondent no. 3, the appellant of the said case, is entitled to look after the property belonging said trust which is apparently illegal, not sustainable in the eye of law.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ____________/OF 2014

In the matter of an application Under Article 226 of the Constitution of India;

And

In the matter of:-

Kedar Prasad Singh son of late Ram Narayan Singh, resident of village- Kunjauri , P.S. Alamnagar, District- Madhepura.

....PETITIONER

VERSUS

1. The Commissioner, Koshi Division, Saharsa.
2. The Deputy Collector, Land Reform, Uda Kishanganj, District Madhepura.
3. Rajiv Kumar Singh son of Paleshwar Prasad Singh, resident of village Kunjauri, P.S. Alamnagar, District Madhepura.
4. Subhash Yadav son of Lakhan Yadav, resident of village Kunjauri, P.S. Alamnagar, District Madhepura.

-----------------------RESPONDENTS

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

1. This writ application is directed against the order dated27.12.13 passed in Land Dispute Appeal No. 388/12 by the respondent Commissioner whereby the respondent Commissioner has recognized the respondent Rajiv Kumar Singh as the care taker of the trust in the name of Sri Thakur Ram Janki Laxman ji Trust , a private trust (hereinafter referred as trust) with the petitioner as its Sewait, either without hearing the petitioner or without issuing notice to the petitioner for being impleaded as the party to the said land dispute case no. 388/12, filed by the respondent Rajiv Kumar Sinha against the order dated 7.6.12 passed by the respondent DCLR in Land Dispute Case No. 266/11-12 . The order has been passed, affecting the petitioner's right title interest to act as the Sewait of the said trust, duly declared Trustee by the competent civil court vide its Judgment and decree dated 20.1.2007 passed in T.S. No. 42/1988 (Kedar Prasad Singh Versus The Bihar State Hindu Religious Trust)

This application is also being filed for other releifs as well

Respondent NO.3 Rajiv Kumar Singh filed a petition against the respondent no.5. In the said petition it has been alleged that land appertaining to Khata No. 796, Khesra NO. 1498 having

an area of 3.42 Acres is the land of the said respondent no. 4 as per family adjustment, on which respondent no.5 is cultivating, depriving the title of the respondent no.4 over the said land. In the said dispute in between the respondentno.3 and 4 it was emerged that the land in question is the part of the land of the said trust. It has further been revealed that the petitioner is the Sewait of the said trust, as has duly been adjudicated by the Civil Court of competent jurisdiction in T.S. 42/1988. Respondent No.4 claimed that a part of the land in question has been granted to the said respondent no.4 for 5 years on certain rent. Thus the claim of the respondent no.3 was dismissed, against which the appeal was filed by the respondent no.3. The appellate court, appreciating all the facts and circumstances including the fact that the petitioner is the Sewait of the said trust created in the year 1934, having more than 20 acres of land. The respondent Commissioner further found that the land of a trust cannot be claimed by any other persons even on the basis of family partition as the land does not belong to any family. The respondent commissioner while rejecting the said case observed that respondent no. 3, the appellant of the said case, is entitled to look after the property belonging said trust which is apparently illegal, not sustainable in the eye of law.

Copy of order dated 27.12.13 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this application.

2. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court for the following reliefs:-

(I) The impugned order dated 27.12.13 as contained in Annexure-1 be quashed to the extent of the observation of the court that respondent no.5 is entitled to look after the land in question which is the land of the trust.

(II) The impugned order the extent of the observation of the appellate court that respondent no.3 is entitled to look after the land in question which is the land of the trust, may remain stayed.

(III) The petitioner be extended any other relief/reliefs for which found entitled.

3. That the points of law involved in this writ application falls in a narrow compass as to whether the said observation of the Commissioner's appellate court that the respondent no.3 Rajiv Kumar is responsible to look after the land in question which is the land of the trust with the petitioner as Sewait, can be passed without either impleading the petitioner as the party or without affording the petitioner an opportunity of being heard and whether a decree of competent civil court can be touched by an Executive authority that too without impleading the said trust as the party and whether such a finding /observation is an abuse of the processes of the court/official power and whether the impugned order has been passed in violation of principle of natural justice as the petitioner is the affected person due to such an observation of the appellate court of the respondent Commissioner.

4. That the petitioner is a citizen of India.

5. That late Babu Bajrang Singh executed a Smarpnama/ Arpannama in favour of the Thakurbari namely Sri Thakur Ram Janki Laxman ji Trust bequeathing certain piece of land, vide registered Arpannama dated 1.5.1934. Said Babu Bajrang Singh bequest 20.39 acre land and later on also donated 1 88 acres of land. In the year 1988 a dispute rose with regard to the said trust as to whether the said trust is a private trust or a public trust which was finally adjudicated in between the petitioner and Bihar State Religious Trust Board and others, being T.S. No. 42/1988 . The said suit was finally decreed vide Judgment and decree dated 20.1.2007. passed by Sri Satya Prakash. learned Civil Judge I Madhepura. The learned trial court decreed the suit declaring that the said trust is a private trust and not a public trust with the petitioner as its Sewait

6. That in order to mobilize day to day expenditure 1.74 acre land out of the said land was given to the respondent no.4 on an annual rent for a period of 5 years in the year 2011 thereafter the respondent no.4 started cultivating the land and has been paying the said rent to the trust.

7. That respondent no.3 Rajiv Kumar Singh filed a land dispute case in the court of respondent DCLR against the respondent no.5, claiming himself to be the raiyat of the said land got the same under family partition. The said case being Land Dispute Case No. 266/2011-12 was contested by the respondent

no.4.The respondent no.4 brought the relevant documents on the record. Appreciating that the land in question belong to the trust and also appreciating the Judgment and decree passed in T.S. No. 42/88 and land in question is the land of the trust and the respondent no.5 is cultivating the said land with the permission of the petitioner, the Sewait . Accordingly the respondent DCLR dismissed the said case vide its order dated 7.6.12

Copy of the order dated 7.6.12 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ application.

8. That the respondent no.3 Rajiv Kumar Singh filed appeal against the order dated 7.6.12 before the respondent Commissioner Koshi Division Saharsa, being Land Dispute Appeal No. 388/2012 against the respondent no.4, claiming that the land in question falls within his share and he has been in cultivating possession of the said land since long which is being obstructed by the respondent Subhash Yadav. The respondent no.4 contested the said case and filed the relevant documents, substantiating that the land in question is the land of the trust which was bequest by Babu Bajrang Singh through registered Arpannama dated 1.5.1934. The respondent no. 4 further contended that a dispute arose in respect of the said trust as to whether the said trust is a private family trust or a religious public trust. The matter was set at knot by Judgment and decree dated 20.1.07 passed in T.S. No. 42/88 (Kedar Prasad Singh Versus The Bihar State Hindu Religious Trust & others).

9. That the respondent Commissioner found that the land in question is a land of the trust. The respondent commissioner further found that the religious trust property cannot be partitioned among the family member and thus the claim of the respondent lno.5is not sustainable.

10 That while finally rejecting the appeal filed by Rajeev Kumar Singh, the respondent Commissioner observed that the respondent Rajiv Kumar Singh has his right to look after the land, though respondent no.3 has nothing to do with the trust. The respondent committed serious error by observing that respondent no.3 has his right to look after the land. A person, who is not the Sewait, is not entitled to look after the land of the trust, such finding amounts to direct interference in the judicial pronouncement of the competent civil Court that too in utter violation of the principle of natural justice. The fact was there on the record that in view of the Judgment and decree of the competent Court, the petitioner is Sewait of the said trust, still a contradictory observation has been made creating a peculiar situation. Such observation is redundant in the facts and circumstances. but shall adversely affect the administration of the trust.

11. That the petitioner who is the Sewait of the said Sri Thakur Ram Janki Laxmanji Thakurbari was not aware of the dispute in between the respondent no.3 and 4. Recently the petitioner came to know about the said order that as per the observation of the Divisional Commissioner respondent no.3 is entitled to look after

the land in question which is the land of the trust being Khata No. 796, Khesra No. 498 having an area of 3.42 acres. Thereafter the petitioner made enquiries and came to know about the impugned order dated 27.12.13 as contained in Annexure-1.

12. That the petitioner obtained copy of the impugned order on 13.10.14 and thereafter contacted his learned Advocate for legal remedies.

13. That the said observation of the court that the respondent no.3 Rajiv Kumar is responsible to look after the land in question which is the land of the trust with the petitioner as Sewait, cannot be passed without either impleading the petitioner as the party or without affording the petitioner an opportunity of being heard .

14. That decree of competent civil court cannot be touched by an Executive authority that too without impleading the said trust as the party.

15. That such a finding /observation is an abuse of the processes of the court/official power.

16. That the impugned order has been passed in violation of principle of natural justice as the petitioner is the affected person due to such an observation of the appellate court of the respondent Commissioner.

17. That for the ends of justice equity and fair play in action it is just and expedient that the impugned order be quashed to the extent of the observation that the respondent Rajiv Kumar Singh is entitled to look after the land in question though the land in

question is the land of the Thakurbari with the petitioner as its Sewait.

18. That the petitioner has got no other alternative efficacious remedy except to file this writ application before this Hon'ble Court.

19. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court earlier except stated above.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue notices to the respondents to show cause as to why the reliefs prayed in paragraph no.2 of this writ application be not granted and after return of the rule, and/or cause being shown and/or after hearing the party/parties be pleased to allow all the reliefs prayed in paragraph no.2 of this writ application.

And/or

pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

Ex-476 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014

13/10/2014

अनुसूची १४–फारम स0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला............, सं0............, सन् १६............

केस का प्रकार............

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 388/2012

राजीव कुमार सिंह — अपीलार्थी

वनाम

सुभाष यादव — रेस्पोण्डेन्ट

—::आदेश::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.06.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद सख्याः 266/2011–12 के विरुद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओ को सुना एव अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलाकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में प्रश्नगत भूमि मौजाः कुजौडी, थानाः–139, अचलः आलमनगर, खाता नयाः 796 खेसरा नयाः 1498 रकबा 03.42 एकड़ चौहद्दी उ0: विलास शर्मा वाईपास कच्ची सड़क, द0: शेख गणी वगैरह पु0: उत्तरवादी, वगैरह प0: मृगेन्द्र कुमार सिंह वगैरह विवादित भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि हाल सर्वे मे मौजाः कुँजौरी, थाना नं0 139 हाल अचल वो थाना– आलमनगर (पुराना अंचल वो थाना– किशनगंज) हाल जिला– मधेपुरा (पुराना जिला– सहरसा) के नया खाता –796 नया खेसरा– 1498 रकबा 03 एकड़ 42 उडीसमल का खाता स्वत्व स्वामित्व के आधार पर रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिह ग्रामः कुँजौड़ी, थाना न0 139, थाना वो अंचलः आलमनगर, जिला– मधेपुरा के नाम दर्ज हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे कथन करत है कि रामेश्वर सिंह के मरने के बाद रामेश्वर सिंह के दो पुत्र फुलेश्वर प्रसाद सिह मृगेन्द्र सिंह उर्फ सोना सिंह के बीच मे मौखिक बँटवारा हुआ जिसमे विवादी भूमि फुलेश्वर प्रसाद सिंह के हिस्सा मे पडा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते है कि उसी समय में फुलेश्वर प्रसाद सिह के तीनो लड़के के बीच आपसी मौखिक बँटवारा हुई जिसमें विवादी भूमि अपीलकर्त्ता राजीव

GOVT. OF BIHAR COURT FEE Authorization No 3073 भारत INDIA 375265 13.10.2014 BIHAR

3886 9527758

कुमार सिंह पिता फुलेश्वर प्रसाद सिंह के हिस्सा में पड़ा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि बॅटवारा के रोज से अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह उक्त विवादी भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से जोत आवाद कर फसल तस्सरूफ कर रहे थे उसके पहले सम्मिलित परिवार के लोग पुस्त पुस्तैन से शॉतिपूर्ण ढंग से दखलकार बने चले आ रहे थे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि वर्श 2011 ई0 में अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह उक्त विवादी भूमि को जोत आबाद कर मकई फसल बोने के लिए तैयार किये हुए थे एकाएक बिना किसी जानकारी का अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह के गेरवाने में उत्तरवादी ने कुछ असमाजिक तत्वों के साथ आकर विवादी भूमि को जोतकर पुनः चौकी देकर मकई का फसल बो दिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलकर्त्ता भूमि को छोड़ने का आग्रह किया परन्तु विपक्षी सुभाष यादव 50000.00 रू0 की मांग करते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि विपक्षी दावा करते है कि केदार प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय राम नारायण सिंह से खाता संख्या –796 नया खेसरा संख्या –1498 नया रकबा 03 एकड़ 42 डी0 मे से 01 एकड़ 74 डीसमल भूमि पट्टा पर लिया हूँ और जोत आवाद कर फसल बोया हूँ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि रामजानकी लक्ष्मण ठाकुरवाडी तथा निजी ट्रस्ट का चर्चा उत्तरवादी करते है, उससे विवादी भूमि को काई हक वो सरोकार नही है। ठाकुरवाड़ी को मात्र 01 एकड़ 88 डी0 भूमि है जिसका हाल सर्वे खतियान भी ठाकुरवाड़ी के नाम से इन्द्राज है जो मौजा– कुँजौड़ी थाना न0 139 अंचल– आलमनगर नया खाता –797 नया खेसरा –152 रकबा 27 डी0 नया खेसरा –157 रकबा 61 डी0, नया खेसरा –174 रकबा 40 डी0 नया खेसरा –182 रकबा 10 डी0, नया खेसरा –185 रकबा 18 डी0, नया खेसरा 1093 रकबा 08 डी0, नया खेसरा –1262 रकबा 20 डी0, नया खेसरा 1414 रकबा 04 डी0, कुल रकबा 01 एकड 88 डी0 खाताधारी का नाम श्री रामजानकी जी महाराज सेवायत रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिंह जो कि अपीलकर्त्ता के सगे दादाजी हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते है कि उपरोक्त विवादी भूमि से केदार प्रसाद सिंह एवं श्री राम जानकी जी महाराज से कोई हक वो सरोकार नही है एव केदार प्रसाद सिंह को कोई भी पट्टा या किसी भी प्रकार की कार्रवाई उक्त विवादी भूमि पर नहीं है। केदार प्रसाद सिंह एवं उत्तरवादी अपराधिक छबि के व्यक्ति हैं तथा मेली सरोकारी बतलाते हैं।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में वादग्रस्त भूमि से संबंधित नया खाताः 796 नया खेसरा : 1498 रकबाः 03 एकड़ 42 डीसमल खतियान का वाजाप्ता नकल ,राजस्व रसीद की प्रति, श्री राम जानकी जी महाराज सवैत रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिंह नया खाता 797 खतियान का वजाप्ता नकल एवं उत्तरवादी पर अपराधिक मुकदमा लंबित आलमनगर थाना कांड सख्या 34/1998 जी0 आर0 नं0 417/1998 राज्य बनाम लखन यादव वगैरह का वजाप्ता नकल की प्रति दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि मोजा– कुजौड़ी, अंचल – आलमनगर जिला– मधेपुरा के खाता संख्या 796, खेसरा संख्या 1498 रकबा 3 एकड़ 42 डी0 भूमि के लिए दाखिल किया गया था जिसमे कहा गया था कि उक्त भूमि उनकी मरौसी खतियानी है एवं खाता रामेश्वर सिंह के नाम से दर्ज है एव आपसी बॅटवारा से हिस्सा में मिला

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
STAMP DUTY
भारत
INDIA
375265
BIHAR
3887 982

है एव यह कहा गया है कि जमाबदी दादा रामेश्वर सिह के नाम से चल रही है एव यह भी कहा है कि दिनाक 23.10.11 को जबरन जोत कर उक्त भूमि मे मकई का फसल लगा दिया है एव रगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है लेकिन अपीलार्थी के द्वारा रगदारी के लिए कोई वाद थाना मे अथवा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा या अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी, उदाकिशुनगज के समक्ष दाखिल नहीं किया है वो रगदारी का मामला बिहार भूमि विवाद सुधार अधिनियम के तहत नहीं आता है जिससे अपीलार्थी का दावा पोषणीय नही है बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम मे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रत्यर्थी उक्त वाद में हाजिर होकर अपना उत्तर पत्र दिया वो अपने उत्तर पत्र में उल्लेखित किया कि 3 एकड़ 42 डी0 भूमि मे से मात्र 1 एकड 74 डी0 जमीन प्रत्यर्थी के द्वारा लीज पर भू– स्वामी केदार सिंह पिता– रामनारायण सिंह से ली गयी है जो उक्त भूमि पर दखल–कब्जा केदार प्रसाद सिह का बराबर है था वो केदार प्रसाद सिंह की उक्त भूमि उनके निजी राम जानकी– लक्ष्मण ठाकुरबाड़ी की चली आ रही है जो उनका निजी ट्रस्ट है वो उक्त भूमि की मालिक बजरंग सिंह एवं मनु सिंह पेसरान महाराज सिह वो मोहित सिह, पिता धनुषधारी सिह के द्वारा ली थी। ठाकुर राम जानकी लक्ष्मण वो उत्सर्ग कर अर्पण कर दिये वो उक्त ठाकुरबाडी के सेवायत बजरग सिह, पे0 महाराज सिह हुए वो जिनके लिए एक दस्तावेज अर्पणनामा तारीख 01.05.34 तामिल कर रजिस्ट्री एकरार कर दिये वो उक्त अर्पणनामा से यह भी स्पष्ट होगा कि जिस कदर विवादी खेसरा का दावा किया गया अरसा दराज कवल साथ अन्य भूमि के कर दिये वो उक्त ठाकुरवाडी सेवायत बजरंग सिंह के बाद उनके वारिसान होते आये।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम मे आगे यह भी कथन करते हैं कि चन्द व्यक्ति के द्वारा विवादग्रस्त भूमि वो अन्य भूमि के लिए विवाद उत्पन्न किया गया जिसमे दफा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही प्रारभ हुई, जिसका मोकदमा संख्या 328/1977 था, जिसमे द्वितीय पक्ष जगदीश सिंह एव अन्य थे जो 145 द0 प्र0 स0 में तबदिल हो गयी जिसका टी0 आर0 न0 296/78 कायम हुआ जिसमे फैसला दिनाक 19.06.78 ई0 को हुआ, जिसमे उक्त भूमि वो अन्य भूमि पर हकियत वो दखल ठाकुरवाडी का कायम रहा। वाद मे बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा झझट किया गया कि उक्त ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है, जिसके लिए केदार प्रसाद सिंह के पिता अयोध्या सिह जो बाबू बजरग प्रसाद सिंह के मरने के बाद सेवायत हुए वो वै बहैसियत सेवायत के अधिकार वाद सख्या 42/88 न्यायालय अवर न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय मे दाखिल किया जिसमे फैसला रेस्पोण्डेन्ट के लीजकर्त्ता के पक्ष मे हुआ तथा उसकी डिकी भी बनी वो इस तरह केदार प्रसाद सिह बहैसियत सेवायत उक्त भूमि पर हकदार वो दखलकार थे वो अपीलार्थीगण के सरीकदारान 144 एवं 145 द0 प्र0 सं0 मे लडे, लेकिन उनका कोई दावा कायम नहीं रहा बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम मे आगे यह भी कथन करते हैं अपीलार्थी का कहना है कि हाल सर्वे खतियान उनके नाम से ठाकुरबाड़ी की सम्पति का बन गया है, जिससे उन्होंने अपना दावा लाया है, लेकिन खतियान से स्वामित्व का फैसला नहीं हो सकता है, वो प्रावधानों के अनुकूल यह कहा गया है कि " खतियान इज नोट कनक्लूसीव प्रूफ ऑफ दी टाईटिल" तथा अपीलार्थी के द्वारा यह भी नहीं कहा गया है कि यह नया खेसरा किस पुराना खेसरा से बना है वो उक्त पुराना खेसरा उन्हे कैसे हासिल है। यह कि प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त भूमि 05.01.1934 को अर्पण ठाकुर जी को पूर्व वो उसके बाद उक्त भूमि पर 144 एव 145 द0 प्र0 सं0 चला, जिसमें प्रत्यर्थी की जीत हुई वो उनका दखल– कब्जा पाया गया जो फैसला 1978 मे हुआ है वैसी हालत मे खतियान का इन्द्राज

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Authentication No 3073
भारत STAMP DUTY
INDIA 375265
13.10.2014
BIHAR
3888 05201 59

हक दखल के लिए अपूर्ण हो जाता है तथा स्वत्व वाद मे फिर निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में आया है तथा प्रत्यर्थी ठाकुरवाड़ी की जमीन एक एकड चौहतर डीसमल लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति मे अपीलार्थी का दावा असुरक्षितयुक्त है वो उनके दावे का फैसला एक जटिल मामला स्वत्व का बनता है। आगे यह भी कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगज का आदेश जायज वो दुरूस्त है।

रेस्पोण्डेन्ट अपने दावे के समर्थन मे अर्पणनामा (रजि) की छाया प्रति, डीकी दिनाक 20.01.07 टी0एस0 न0 42/88 एव पूराना एव नया खेसरा का इनफारमेशन स्लीप की छाया प्रति प्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख मे रक्षित कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल रूप से राम जानकी लक्ष्मण ठाकुरबाडी की है एव इस भूमि को किसी प्रकार का हस्तानान्तरण का अधिकार अपीलार्थी राजीव कुमार सिह या इनके पूर्वज और न ही सुभाष यादव को है । सेवायत की हैसियत से उक्त भूमि के रख रखाव की जवाबदेही अपीलार्थी मात्र को है । अतः उभय पक्षों के स्वत्व अधिकार को खारिज करते हुए यह भूमि राम जानकी लक्ष्मण ठाकुरबाडी मे निहित है एव इसकी सम्पति के रख रखाव के अतिरिक्त किसी प्रकार के दावे प्रतिदावे को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है । इसके साथ अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है ।

लेखापित एव सशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमडल, सहरसा

प्रमाणित प्रतिलिपि
354 13/10/2014
अभिलेखपाल,
आयुक्त कार्यालय
कोशी प्रमण्डल, सहरसा

13/10/2014

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
SAHARSA
Authorization No. 3073
भारत INDIA
STAMP DUTY
375265
13.10.2014
BIHAR

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.
397 / 19.7.12	25.7.12	25.7.12	25.7.12	25.7.12

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वादसंख्या 266/2011-12

राजीव कुमार सिंह वनाम्- सुभाष यादव

==============================

7.3.12 आवेदक राजीव कुमार सिंह पिता पलेश्वर प्र० सिंह सा०- कुंजौड़ी, थाना - आलमनगर जिला-मधेपुरा के विपक्षीगण 1. सुभाष यादव पिता लखन यादव सा०- कुंजौड़ी थाना- आलमनगर जिला-मधेपुरा।

के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 की धारा 4 (1)(क, ख, छ" के तहत आवेदन दाखिल कर निवेदन किया है कि विपक्षी के द्वारा दखल की गई भूमि पर दखल वापस दिलाने तथा उक्त भूमि का पैईमाईश करवाकर चिन्हित करने की असीम कृपा दर्शायी जाय।

विवादी भूमि का विवरण

==================

मौजा- कुंजौड़ी, थाना नं० 139 अंचल- आलमनगर

खाता	खेसरा	रकवा एकड़ि०	चौहद्दी
796	1498	03.42	उ०- विलास शर्मा वाईपास कच्ची सड़

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

2·

द0- शेख गणी वगैरह

पू0- उत्तरवादी वगैरह

प0- मृगेन्द्र कुमार सिंह वगैरह

आवेदक के आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 26·03·12 को प्रस्तुत करें।

ह0/=अस्पष्ट

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

उदाकिशुनगंज

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान लिपिक

अनुमंडल कार्यालय

उदाकिशुनगंज

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	[illegible] requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

3.

वाद सं0- 266/2011-12

7.6.12 उभय पक्ष से हाजरी प्राप्त

उभय पक्ष [illegible] अधिवक्ता को सुना।

[illegible] लिखित [illegible] एवं [illegible]

दाखिल करें। अभिलेख प्रस्तुत करें।

ह0/=अस्पष्ट

भू, सु.उप.स.

7.6.12 उभय पक्ष से लिखित बहस एवं कागजात दाखिल किया गया।

ह0/=अस्पष्ट

भू,स.उप.स.

आदेश की प्रति 2(दो) पन्ने में संलग्न है।

ह0/=अस्पष्ट

भु.सु.उप.स.

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।

भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 266/2011-12

[illegible] बनाम [illegible]

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folioe.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folioe.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

आदेश

7·6·12 दिनांक- 07·03·2012 को वादी राजीव कुमार सिंह पिता पुलेश्वर प्र0 सिंह साकिन- कुंजौरी, थाना- आलमनगर, जिला-मधेपुरा ने उसी गांव के प्रतिवादी सुभाष यादव पिता लखन यादव के विरूद्व निम्नांकित जमीन के लिये बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा4(1)(घ) सह पठित धारा 4(1)(क)(ख)(छ) के अन्तर्गत यह वाद दायर किया है:-

मौजा- कुंजौड़ी, थाना नं0 139, अंचल- आलमनगर

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
796	1498	03·42एकड़	उ0- विलास शर्मा वाईपास कच्ची सड़क द0- शोर्ख गणी वगैरह पू0- प्रतिवादी वगैरह प0- मृगेन्द्र प्र0 सिंह वगैरह

2· प्रतिवादी को सूचना दी गयी। दिनांक- 09·04·2012 को धारा16(1) व 16(11) में प्रश्नगत जमीन में लगी मकई फसल को कटवाकर सुरक्षि

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

सुरक्षित रखने हेतु आवेदन दिया। दिनांक- 19.04.2012 को उक्त आवेदन को जाँच में अंचल अधिकारी आलमनगर को भेजा गया। दिनांक- 09.05.2012 को प्रतिवादी ने उत्तर पत्र दाखिल किया। दिनांक- 04.06.2012 को वादी ने एक संशोधन आवेदन दिया तदनुसार ही उपर जमीन का विवरणी अंकित है दिनांक- 07.06.2012 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनकी ओर से दाखिल लिखित बहस एवं कागजी सबूतों का अवलोकन किया।

3. वादी का दावा

3.1 प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान वादी के दादा स्व० रामेश्वर सिंह के नाम दर्ज है मौखिक आपसी बटवारा में प्रश्नगत जमीन वादी के हिस्से में पड़ा। ये मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे है।

3.2 दिनांक- 23.10.2011 को प्रतिवादी जबरन प्रश्नगत जमीन को जोत कर मकई लगा दिया और वादी को बेदखल कर दिया। दिनांक- 24.10.2011 को थाना में आवेदन दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

3.3 प्रतिवादी 50,000/= रुपया रंगदारी टैक्स मांगता है और रंगदा-री टैक्स दिये बिना जमीन नही छोड़ेगा।

3.4 वाद पत्र में मांग है कि वादी का अधिकार घोषित किया जाय, पैमाईश कराकर पुन: दखल दिलायी जाय, भविष्य में ऐसा नही करने के लिये प्रतिवादी से बंध-पत्र लिया जाय तथा प्रश्नगत जमीन में लगे मकई का सम्पूर्ण फसल दिलायी जाय।

3.5 वादी ने अपने दावे के समर्थन में हाल सर्वे खतियान मालगुजारी रसीद एवं आलमनगर थाना कांड संख्या 34/1998 की सत्यापित प्रति दाखिल किया है।

4. प्रतिवादी का दावा

4.1 प्रश्नगत जमीन केदार प्र० सिंह पिता राम ना० सिंह की है जो उन्हें अधिकार वाद संख्या 42/1988 द्वारा प्राप्त है। दिनांक- 08.07.2011 को 05 वर्षों के लिये प्रश्नगत खेसरा के दक्षिण से 01.74 एकड़ जमीन पट्टा पर केदार प्र० सिंह ने दिया है। ~~शेष रकबा पर केदार प्र० सिंह~~

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

~~वे दिखा है~~ शेष रकबा पर केदार प्र0 सिंह एवं उनके वारिसान स्वयं खेती करते है।

4.2 इस वाद में पक्षकार का भी दोष है।

4.3 परिवादी ने अपने दावे के समर्थन में निबंधित अर्पणनामा अधिकार वाद संख्या 48/1988 में पारित आदेश की सत्यापित प्रति पट्टा एवं सर्वे कार्यालय से प्राप्त कर सूचना पर्ची दाखिल किया है।

5. Findings:-

सर्वे कार्यालय से प्राप्त सूचना पर्ची के अनुसार प्रश्नगत नया खाता 796 नया खेसरा 1493 का पुराना खाता 120 पुराना खेसरा 1323 से बना है। अन्य जमीन के साथ पुराना 1323 रकबा 03.42 एकड़ का भी बाबू बजरंग सिंह वगैरह ने श्री श्री ठाकुर राम जानकी लछुमन जी सेवायत बाबू बजरंग सिंह दिनांक 01.05.1934 को निबंधित अर्पणनामा लिखा था। मंदिर की सम्पत्ति को लेकर अधिकार वाद संख्या 42/1988 केदार प्र0 सिंह बनाम- बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास परिषद वगैरह चला था जिसमें दिनांक- 20.01.2007 का आदेश

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

पारित हुआ एवं डिक्री तैयार की गयी। जिसके अनुसार प्रश्नगत एवं अन्य जमीन मंदिर की मानी गयी। जिसके सेवायत केदार प्र० सिंह है। उन्होंने इस वाद के प्रतिवादी को दिनांक- 08·07·2011 को प्रश्नगत जमीन में से 01·74एकड़ जमीन 5 वर्षों के लिये पट्टा पर दिया है। पट्टेदार की हैसियत से इस वाद के प्रतिवादी दखल में है। वादी का दावा हाल सर्वे खतियान पर आधारित है जिसका प्रकाशन 1977 ई· में हुआ लेकिन उसके बाद दिनांक- 20·01·2007 को अधिकार वाद में प्रश्नगत जमीन केदार प्र० सिंह की मान ली गयी है। इस तरह वादी अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह०/=अस्पष्ट
भू·सु·उ·स·

ह०/=अस्पष्ट
07·06·12
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक
अनुमंडल कार्यालय
उदाकिशुनगंज

तुलीत

प्रतिलिपिकार

AFFIDAVIT

I, Kedar Prasad Singh, aged about 52 years, son of late Ram Narayan Singh, resident of village- Kunjauri , P.S. Alamnagar, District- Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances leading to this case.

2. That contents of this writ petition have been read over and have been explained to me in Hindi which I have fully understood.

3. That the statement made in paragraph no. 4-10, 8, 11, 15, 18 ....& 19..... ...are true to my knowledge and those made in paragraph no. ....are based on information derived from the record of the case and rest are by way of submission to this Hon'ble Court.

4. That the annexures are true/Photostat copies of their respective originals.

केदार प्रसाद सिंह